समक्ष न्यायालय मे श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवाम0प्र0

R-939-II/12

हीरालाल पिता ददूनी चमार उम्र 36 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम अमझोर, थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 .....आवेदक/निग0कर्ता

विरूद्ध

1. मुस0 चिरौंजिया बेवा ददूनी चमार सा0 अमझोर, 0

2. बबोले पिता सेखई चमार सा0 अमझोर {फौत} वारिस {अ}. अम्बरदीन पिता बबोले चमार उम्र 45 वर्ष सा0 अमझोर पेशा खेती,

3. सम्भारू पिता झुट्ठा चमार सा0 अमझोर

4. खेल्लू पिता झुट्ठा चमार सा0 अमझोर,

सभी का थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0

......अना0गण/गैरनिगराकार

राजस्व निगरानी विरूद्ध निर्णय न्याया0श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0/79/अपील/अ-6"नामा." /2009-2010 मे पारित आदेश दिनांक 10.02.2012 से व्यथित होकर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता व्दारा निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है कि:-

"निगरानी के तथ्य"

यह कि निगरानी मे सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अना0/गैरनिगराकार क्र0-एक ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महो0 के यहाँ न्याया0 श्रीमान् तहसीलदार जयसिंहनगर वृत्त आमडीह ग्राम अमझोर जिला शहडोल म0प्र0 को नामां0 पंजी क्र0-32 मे पारित आदेश दिनांक 24.08.1986 के विरूद्ध अपील म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44{1} के तहत, प्रस्तुत की गई और साथ मे धारा 48 आवेदन नकल की छूट हेतु प्रस्तुत किया गया था।

2. यह कि अधी0 न्याया0 अपीलीय न्याया0 ने प्रकरण मे प्रक्रियात्मक त्रुटि दायर दिनांक से ही चालू कर दिया गया था प्रकरण मे मूल सत्य प्रति के बगैर ही प्रकरण मे सुनवाई की गई और दिनांक 14.10.2011 को बिना आधार के सत्यप्रति प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की गई।

3. यह कि अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन का जवाब अपीलार्थी व्दारा मय शपथ पत्र के किया गया था जिस पर अधी0 न्याया0 ने म्याद बाह्य आवेदन अपी0/गैर निगराकार का स्वीकार कर म्याद बाह्य अपील को जो अधी0

R 939-II/12

17.9.15

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधि. दिनांक 30.5.12 को न्यायालय में उपस्थित थे तथा आगामी पेशी दिनांक 19.7.12 नोट की थी, परन्तु उसके पश्चात लगभग तीन वर्ष तक वे प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये हैं। आज आवेदक एवं उनके अभिभाषक को आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि न लेने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस भेजे जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य